समझौता ज्ञापन

भारत के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्चस्तरीय कार्यदल

एक पारदर्शी और व्यापक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) - भारत के लिए एक क्रेडिट सूचना के का व्यापक डेटाबेस स्थापित करना भारतीय रिज़र्व बैंक में सक्रिय रूप से विचाराधीन है जो सभी स्टेकधारकों के लिए सुलभ है और जो क्रेडिट बाजार की सक्षमता बढ़ाने, वित्तीय समावेशन में वृद्धि करने, सहज रूप से कारोबार करने में सुधार करने तथा कमियों को नियंत्रित करने में सहायता करेगा। विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर 4 अक्टूबर 2017 को जारी वक्तव्य में भारत के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यदल के गठन की घोषणा की गई थी।

कार्यदल की संरचना निम्नानुसार होगीः

1.	श्री वाई.एम. देवस्थली, पूर्व सीएमडी , एल एंड टी फाइनांस होल्डिंग लिमिटेड	अध्यक्ष
2.	श्री शेखर कर्णम, डीएमडी और मुख्य क्रेडिट अधिकारी, एसबीआई	सदस्य
3.	सुश्री विशाखा मुले, ईडी, आईसीआईसीआई बैंक	सदस्य
4.	श्री राशेष शाह, अध्यक्ष और सीईओ, एडलवीस ग्रूप	सदस्य
5.	श्री श्रीराम कल्याणरमन, एमडी और सीईओ, राष्ट्रीय आवास बैंक	सदस्य
6.	सुश्री बिदिशा गांगुली, मुख्य अर्थशास्त्री, सीआईआई	सदस्य
7.	श्री शरद शर्मा, सह-संस्थापक और सीईओ, ब्रैंडसिग्मा, आईस्पिरिट	सदस्य
8.	श्री विवेक श्रीवास्तव, व. उपाध्यक्ष – अनुसंधान और नवोन्मेष, आरईबीआईटी	सदस्य
9.	श्री पार्वती वी. सुन्दरम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, आरबीआई	सदस्य
10.	श्री अनुजीत मित्रा, निदेशक, डीएसआईएम, आरबीआई	सदस्य-सचिव

कार्यदल अध्यक्ष की अनुमति से विश्व बैंक/ईसीबी आदि से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है यदि आवश्यक हो।

कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) भारत में क्रेडिट संबंधी सूचना की मौजूदा उपलब्धता की समीक्षा करना।

(ii) भारत में अंतरालों का मूल्यांकन करना ताकि एक व्यापक पीसीआर से उनकी पूर्ति की जा सके।

(iii) पीसीआर पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करना।

(iv) व्यापक पीसीआर के दायरे/लक्ष्य को निर्धारित करना: क्रेडिट का कट ऑफ यदि कोई हो, के आकार के साथ जानकारी के प्रकार को शामिल करना।

(v) यह तय करना कि व्यापक पीसीआर प्राप्त करने के लिए नई सूचना प्रणाली की संरचना की जाए या मौजूदा सिस्टम को मजबूत/एकीकृत किया जाए।

(vi) भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और निकट-तत्काल आधार पर पीसीआर विकसित करने के लिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित, एक रोडमैप का सुझाव देना।

कार्यदल का अपना सचिवालय सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग में होगा जो इसके गठन की तारीख के छह महीनों के अंदर अर्थात 4 अप्रैल 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(डॉ. विरल वी. आचार्य)

उप गवर्नर

23 अक्टूबर 2017